पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2015 ई0 (चैत्र 07, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	143–163	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	121–123	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	139–156	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

अधिसूचना

12 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 89/VII-1/2015/137–उद्योग/2005–अधिसूचना संख्या 2381/सात–औ0वि0–1/2005–137 उद्योग/2005, दिनांक 07 जुलाई, 2005 जिसके द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 17 के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य में अधिसूचित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों एवं मेगा प्रोजेक्ट के लिये विनियमित क्षेत्रों जो कि अधिसूचित हो गये हों, में भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने का अधिकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई, 2005 के द्वारा SIDA के अध्यक्ष के रूप में सचिव उत्तराखण्ड शासन उद्योग विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे न हों, में आंशिक संशोधन करते हुये SIDA के अध्यक्ष के रूप में अवस्थापना विकास आयुक्त/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया जाता है।

3. सीडा के गठन की अधिसूचना दिनांक 07–07–2005 के द्वारा की व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कार्यालय सिडकुल मुख्यालय आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थापित किये जाने तथा प्राधिकरण के समस्त सचिवालयी कार्यों के सम्पादन हेतु सीडा सचिवालय की संरचना निम्नवत् की जाती है:–

1. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग पदेन संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी सीडा।
2. अनु सचिव, औद्योगिक विकास विभाग पदेन अनुसचिव, सीडा।
3. अनुभाग अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग पदेन अनुभाग अधिकारी सीडा।
4. समीक्षा अधिकारी, औद्योगिक विकास विभाग पदेन समीक्षा अधिकारी सीडा।

4. नोडल अधिकारी द्वारा सीडा के प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना/संशोधन

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 2206/XX(3)-2014-13(01)2014 T.C.–मृतक सुनील कुमार बलूनी की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना नेहरू कॉलोनी, जनपद–देहरादून, उत्तराखण्ड में धारा 306 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या–237/2014 का अन्वेषण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–2206/XX(3)-2014-13(01)2014, दिनांक 08–12–2014 में त्रुटिवश अपराध संख्या–237/2014 के स्थान पर अपराध संख्या–273/2014 अंकित हो गया है। अतः पूर्व में निर्गत अधिसूचना में अंकित अपराध संख्या–273/2014 को अपराध संख्या–237/2014 पढ़ा जाये।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–2206/XX(3)-2014-13(01)2014 दिनांक 08–12–2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

Corrigendum to notification no. 2206

January 02, 2015

No. 2206/XX(3)-2014-13(01)2014--In Partial modification of notification No. 2206/2014, Dated 08-12-2014 regarding the C.B.I. investigation to the death of Late Sunil Kumar Baluni, The case crime No of same notification may be read as 237/2014 instead of 273/2014.

The other Contained of the notification would remain unchanged.

M. H. KHAN,
Principal Secretary
Home.

संख्या–10/XV-2/11(05)/2011

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषय– कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, ऊधमसिंह नगर में सृजित प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–I के 01 पद को कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या–1667/XV-2/1(11)/2006, दिनांक 25 जून, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मत्स्य विभाग के संरचनात्मक ढाँचे के अन्तर्गत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों का जनपदवार पुनर्वितरण किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, ऊधमसिंह नगर में सृजित प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–I के 01 पद को कार्यालय सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार में स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त से सम्बन्धित अन्य समस्त शासनादेश उक्तानुसार संशोधित समझे जायें।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 08/XXVII(6)-D-201/2015–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री ऋचांशु शर्मा, पुत्र स्व0 श्री जयदेव शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–
   (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।
   (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री ऋचांशु शर्मा द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 09/XXVII(6)-D-201/2015—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री अभिषेक कुमार आनन्द, पुत्र श्री विनोद कुमार राय को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

    (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

    (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

    (3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

    (4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

    (5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री अभिषेक कुमार आनन्द द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 10/XXVII(6)-D-201/2015–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री रामवीर सिंह, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

    (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

    (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

    (3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

    (4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

    (5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

    इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री रामवीर सिंह द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 11/XXVII(6)-D-201/2015–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री मामूर जहां, पुत्री श्री नईमउद्दीन अंसारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।

3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में सुश्री मामूर जहां द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 12/XXVII(6)-D-201/2015—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600—39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री कमलेश भण्डारी, पुत्री श्री गगन सिंह भण्डारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में सुश्री कमलेश भण्डारी द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 14/XXVII(6)-D-201/2015—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600—39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री अरूणा, पुत्री श्री सुरेश सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :—

   (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा—पत्र।

   (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण—पत्र।

   (3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र।

   (4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की एक—एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण—पत्र।

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में सुश्री अरूणा द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं /प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 15/XXVII(6)-D-201/2015–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री बालक राम, पुत्र श्री पहल सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

   (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

   (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

   (3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

   (4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

   (5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

   इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री बालक राम द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 16/XXVII(6)-D-201/2015–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत सुश्री नमिता, पुत्री श्री सुरेश प्रकाश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।

3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में सुश्री नमिता द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 17/XXVII(6)-D-201/2015—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600—39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री गिरीश चन्द्र, पुत्र श्री मथुरा प्रसाद को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :–

(1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र।

(3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

(4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण–पत्र।

(5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण–पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री गिरीश चन्द्र द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

02 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 18/XXVII(6)-D-201/2015—उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित "उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010" के आधार पर उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वित्त अधिकारी, साधारण वेतनमान ₹ 15600—39100, ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत श्री दीपक चन्द्र भट्ट, पुत्र श्री बी0 सी0 भट्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई/औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. उक्त पद की सेवायें "उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली, 2002), संशोधन नियमावली, 2010" तथा शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा सम्बन्धी शर्तों के अधीन विहित होगी।
2. वर्णित पद पर नियुक्त किये जा रहे अभ्यर्थी को प्रशासन अकादमी नैनीताल में दिनांक 07.01.2015 से प्रारम्भ हो रहे, आधारभूत प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. व्यवसायिक प्रशिक्षण/विभाग में तैनाती आदि के सन्दर्भ में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड, देहरादून को योगदान करने एवं प्रशासन अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होने के लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे :—
   (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा—पत्र।
   (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का प्रमाण—पत्र।
   (3) अभ्यर्थी के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र।
   (4) शैक्षिक योग्यता, आयु, स्थाई निवास एवं जाति से सम्बन्धित प्रमाण—पत्रों की एक—एक प्रमाणित प्रतियां तथा उनके सत्यापन हेतु समस्त मूल प्रमाण—पत्र।
   (5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा दिये गये चरित्र प्रमाण—पत्र।

इस आशय का "बन्ध–पत्र" कि भविष्य में चरित्र एवं प्रवृत्त सत्यापन तथा आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित होने की स्थिति, मूल/स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र आदि के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सन्दर्भगत पद पर की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

2. उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की स्थिति में श्री दीपक चन्द्र भट्ट द्वारा प्रत्येक दशा में दिनांक 07.01.2015 को प्रशासन अकादमी नैनीताल में उक्तानुसार अपेक्षित औपचारिकताएं/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तिथि को अभ्यर्थी द्वारा योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे सन्दर्भगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

3. यदि आपके सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट सही नहीं पायी जाती है तो आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. यह यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम बनाम उत्तराखण्ड, रिट याचिका संख्या 106/2011 सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011 नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011 आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014 पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/142–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2015 ई0 (चैत्र 07, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 10, 2015

No. 16/UHC/Admin.A/2015--Sri Abdul Qayyum, Chief Judicial Magistrate, Nainital is given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Nainital until Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Sr. Drv.), Nainital resumes her duties.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

February 12, 2015

No. 17/XIV/a-14/Admin.A/2009--Sri Jayendra Singh, Judicial Magistrate-I, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 27-01-2015 to 05-02-2015 with permission to prefix 25-01-2015 as Sunday & 26-01-2015 as Republic Day.

NOTIFICATION

February 12, 2015

No. 18/XIV/a-35/Admin.A/2011--Sri Jai Pal Singh, Special Judicial Magistrate (N.I.Act), Kashipur, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 12-01-2015 to 31-01-2015 with permission to prefix 10-01-2015 and 11-01-2015 as 2nd Saturday and Sunday and to suffix 01-02-2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 24, 2015

No. 19 UHC/XIV/37/Admin.A--Sri N.S. Dhanik, District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 02-02-2015 to 13-02-2015 with permission to prefix 01-02-2015 and to suffix 14-02-2015 & 15-02-2015 as 2nd Saturday & Sunday holidays, for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 25, 2015

No. 20/UHC/Admin.A/2015--In exercise of powers conferred U/S 11(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, following Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Jr. Div.) are conferred with the powers of Judicial Magistrate 1st Class to exercise these powers within the district where they remain posted:

Sl. No.	**Name of the Officer**
1.	Ms. Nazish Kaleem
2.	Ms. Rashmi Goyal
3.	Sri Akhilesh Kumar Pandey
4.	Sri Imran Mohd. Khan
5.	Sri Sachin Kumar Pathak
6.	Ms. Durga
7.	Sri Puneet Kumar
8.	Sri Rajesh Kumar
9.	Sri Dayaram

By Order of the Court,

Sd/-

D. P. GAIROLA,

Registrar General.

NOTIFICATION

March 03, 2015

No. 22/UHC/XIV/43/Admin.A/2012--Ms. Tricha Rawat, Judicial Magistrate-I, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 34 days *w.e.f.* 19-01-2015 to 21-02-2015 with permission to prefix 18-01-2015 as Sunday and to suffix 22-02-2015 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 04, 2015

No. 23/UHC/XIV/a-40/Admin.A/2012--Sri Abhishek Kumar Srivastava, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 16-02-2015 to 25-02-2015.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 04, 2015

No. 24/UHC/XIV/11/Admin.A/2008--Sri Ritesh Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 05-02-2015 to 19-02-2015, in terms of G.O. No. 819/ xxvii(7)34/2010-11 dated 31-12-2013 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

February 02, 2015

No. 49/PST/Admin. IV/2015/D.Dun--Certified that as per the Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun office order No. 37, Dated 29-01-2015 after getting sanctioned the 15 day's Earned Leave *w.e.f.* 02-02-2015 to 16-02-2015 (prefixing 01-02-2015 as Sunday holiday and suffixing 17-02-2015 as Mahashivratri holiday), the charge of office of Registrar. Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun is handed over, as denoted hereunder in the afternoon of 31-01-2015.

DHARAM SINGH,

Registrar,

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

Counter Signature

Sd/- (Illegible)

Chairman

Uttarakhand Public Services Tribunal,

Dehradun.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/142–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2015 ई0 (चैत्र 07, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पुत्र विकास सिंह रावत के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम भूलवश भगत सिंह दर्ज हो गया है। जबकि वास्तविक नाम भरत सिंह रावत है। भरत सिंह रावत पुत्र श्री गोबिन्द सिंह रावत निवासी–रैतोली, पो0–रूद्रप्रयाग, जिला–रूद्रप्रयाग।

समस्त औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

भरत सिंह रावत,
रैतोली, पो0–रूद्रप्रयाग,
जिला–रूद्रप्रयाग।

कार्यालय, नगर पंचायत, कपकोट, जनपद बागेश्वर

सार्वजनिक सूचना

12 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 136/विविध लाईसैन्स उपविधि/2015—सर्वसाधारण को सूचित करना है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद, 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन–शहरी विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 581/आई0वी0 (1) 2012–01 (घोषणा)/2011 देहरादून 09 जुलाई 2012 के द्वारा नव गठित नगर पंचायत कपकोट को सृजन के उपरान्त यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट 1916 की धारा–293, 294 के अन्तर्गत नगर पंचायत कपकोट की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों/व्यापार/धनार्जित कार्यो को करने वालों पर लोक सुरक्षा/सुविधा/नियन्त्रण करने के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 पठित खण्ड–1–2 सूची 1 के उप खण्ड च,छ,एवं ज,(ग),(घ) के अन्तर्गत नगर पंचायत कपकोट की बोर्ड बैठक दिनांक 26–09–2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाईसैन्स शुल्क, फीस, लगाये जाने का निर्णय लिया गया है इसी परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या–2399/नो–9–94–204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर 1994 शासनादेश संख्या– 1847/नो–9–97–23ज/97 दिनांक 9, जून 1997 एंव शासनादेश संख्या 121 सी0एम0/नो –9–97–3ज/97 दिनांक 18 दिसम्बर 1997 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कपकोट सीमा अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसाईयों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संयुक्त लाईसैन्स उपविधि जिसे उक्त एक्ट की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पडने की सम्भावना है, इस सम्बन्ध में बोर्ड बैठक दिनांक 23–12–2014 में लाईसेन्स दरों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों/व्यपारियों/उद्यमियों से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से विज्ञप्ति प्रकाषित कराये जाने का निर्णय लिया गया है

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर–अन्दर अध्यक्ष नगर पंचायत कपकोट के नाम से कार्यालय नगर पंचायत कपकोट में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जोयगा।

उपविधियां

1–परिभाषायें–

1–यह उपविधि नगर पंचायत कपकोट की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाईयों को नियत्रण करने हेतु लाईसैंसिंग एंव अन्य शुल्क उपविधि 2014–15 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क)–**अधिनियम**– अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्यूनसीपेलिटीज एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 से है।

(ख)–**नगर पंचायत कपकोट की सीमा से तात्पर्य**–नगर पंचायत कपकोट के शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ग)–**अधिशासी अधिकारी**–अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कपकोट से हैं।

(ध)–**अध्यक्ष**–अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट के निर्वाचित अध्यक्ष एंव प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड़) **बोर्ड**–बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है।

(च) **लाईसैंसिंग अधिकारी**–लाईसैंसिंग अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

2– नगर पंचायत की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय आरम्भ तभी कर सकेगा जब वह इस हेतु नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर लाईसैंस प्राप्त कर सकेगा।

3– इस नियम/उपनियम के अर्न्तगत लाईसैंस की अवधि प्रति वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिये वैद्य होगी ।

4– लाईसैंस जारी करने हेतु लाईसैंस अधिकारी, अधिशासी अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी होगा।

5– प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी इन उपविधियों के आधीन नगर पंचायत कपकोट के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रति वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसैन्स प्राप्त करना आवश्यक होंगा।

6– लाईसैंन्स अधिकारी को लाईसैन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसैन्सिग अधिकारी द्वारा निदिृष्ट कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम का न हो द्वारा व्वसायिक दुकान/प्रतिष्ठान की जॉच करने पर ही लाईसैन्स निर्गत किया जायेगा।

7– लाईसैन्सिंग अधिकारी को अधिकार होगा कि लाईसैन्स निर्गत करने से पूर्व खान–पान की सामग्री से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकान अथवा फल सब्जी जो नित्य प्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो, की स्वच्छता तथा खादय व पेय पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ सामान व बर्तनो में रखे होंगे जिसमें मक्खियॉ व धूल आदि हानिकारक पदार्थ एवं किटाणुओं का प्रभाव न पड सके।

8– कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बिमारी से पीडित हो न तो स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

9– लाईसैन्सिंग अधिकारी इन उपविधियों के आधीन खान–पान से सम्बन्धित व्यवसाय दुकानों, होटलों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पायी जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सडी गली सब्जियॉ फलों के दुकान में रखने व विक्रय करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।

10–प्रत्येक व्यापारी/व्यवसायी को चाहिये कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाईसैन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फ़रवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा और आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसैन्स प्राप्त कर सकेगा।

11–उपर्युक्त नियमों में वर्णित किसी भी अंश का उल्लंघन किये जाने पर लाईसैन्सिग अधिकारी लाईसैन्स धारक के आवेदन पत्र को उस समय तक लम्बित रख सकता है या निरस्त कर सकता है जब तक कि ऐसे लाईसैन्स धारक के आवेदन कर्ता से इन उपविधियों के आधीन सफाई, स्वच्छता नित्य प्रति खान–पान से सम्बन्धित व्यवस्था व सार्वजनिक दुकान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाईसैन्सिग अधिकारी द्वारा जॉच करने पर सम्बन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों का सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो।

12– इन उपविधियों के अन्तर्गत खान–पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान से अगल–बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कुडा व अन्य अनुपर्युक्त गन्दी वस्तुयें रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से हानिकारक /जन स्वास्थ्य के विपरीत एवं अशोभनीय लगती है।

13— इन उपविधियों के आधीन लाईसैन्सिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार व्यक्ति को लाईसैन्स न दिये जाने पर एक माह के अन्दर प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को सुनवायी हेतु अपील करने का अधिकार होगा। परन्तु अपील कर्ता को इन उपर्युक्त नियमों के आधीन वर्णित व्यवस्था के अनुपालनार्थ उत्पीडन होने की दशा में ही अपील की सुनवायी होनी संम्भव होगी।

14— लाईसैन्स धारक अपने लाईसैन्स का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नहीं कराता है तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात लाईसैन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क 10.00 रू0प्रति दिन की दर से लाईसैन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

15— कोई भी व्यक्ति लाईसैन्स धारक अपना व्यवसाय कम अधवा समाप्त करेगा तो वह अपना लाईसैन्स निरस्त कराने हेतु रूपये 10.00 के स्टाम्प पेपर/टिकिट लगा कर प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाईसैन्सिग अधिकारी, दुकान/प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाईसैन्स निरस्त करेगा।

16— इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि संतुष्ट हैं कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुर्पयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने, छूट देने तथा संशोधित करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

17— इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी लाईसैन्स स्वतः समाप्त हो जायेंगे। परन्तु जिन व्यवसायों को इस नियमावली में उल्लिखित नहीं किया गया है, से सम्बन्धित पूर्व लाईसैन्स उपनियम यथावत् रहेंगें।

18— शासनादेश संख्या 2399/नो—9—94—204(जनरल) 90 दिनांक 27 अक्टूबर 1994 द्वारा स्थानीय निकायों में लाईसैंसिंग शुल्क व अन्य शुल्कों की दरों को संलग्न सूची के अनुसार नगर पंचायत कपकोट में लागू करने हेतु यह उपविधि बनाई गयी है। जिसमें नगर पंचायत कपकोट में लागू समस्त लाईसैंस की मद जोडी गयी है।

19— केन्द्र या राज्य सरकार या कोई अन्य विधिनीहित संस्था के द्वारा पालिका में उल्लखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसैंस इन उपविधियों से भिन्न होंगे ।

20— नगर पंचायत कपकोट द्वारा अपनी सीमा के अर्न्तगत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों आदि का एक रजिस्टर बनाया जायेगा तथा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसैंस निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अथवा लाईसैंसदार निर्धारित अवधि में लाईसैंस नही बनाता है, लाईसैंस की धनराशि नगर पंचायत कार्यालय कपकोट में जमा नही करता है या चूक करता है तो उससे लाईसैंस की धनराशि वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्ग प्रदत्त प्राविधानो के तहत कानूनी कार्यवाही कर देय वसूली को वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत कपकोट में सुरक्षित होगा।

21— जो शुल्क इस पालिका में नही है, उनके अतिरिक्त अन्य शुल्क नगर पंचायत कपकोट की सीमा के अन्दर लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय हेतु अस्थाई लाईसैंस दिये जायेंगे जिनका मुल्यांकन सूची में दिये गये व्यवसाय की दरों के आधार पर किया जायेगा और जो व्यवसाय सूची में नही है उनके लाईसैंस की दरें नगर पंचायत बोर्ड द्वारा तय/निर्धारित की जायेंगी।

22—कोई भी ब्यक्ति नगर पंचायत कपकोट की सीमा के अर्न्तगत बोझा आदि ढोने अथवा मजदूरी के रुप में कियें जा रहे परिश्रमिक कार्य करने से पूर्व जो कि सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से अपने सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेख दस्तावेज प्रमाण निवास व चरित्र से संबंधित प्रस्तुत उपरान्त उक्त कार्य नगर पंचायत में निर्धरित शुल्क जमा कर पंजिकृत करा सकेगा। तद् पश्चात ही उक्त कार्य कर सकेगा।

23—कोई भी ब्यक्ति जो ऐसे पशुओं का पालन करता हो जिससे वह बोझा ढोने के रुप में पारिश्रमिक प्रप्त करता हो को प्रतिपशु का नगर पंचायत कपकोट में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना

अनिवार्य होगा। तद्पश्चात उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढोने का कार्य करा सकेगा। साथ ही उक्त पशु शारीरिक रुप से स्वस्थ होने का प्रमाण भी देगा अन्यथा की स्थिति में पशु क्रूरता अधिनियम के अर्न्तगत स्वंय दोषी ठहराया जायेगा। तथा दण्ड का भागी होंगा।

24– नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत /नामित कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान के लाईसैंस का परीक्षण/दुकान व्यवसाय का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

यू0पी0 म्युनिस्पैलटिज एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के आधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर मु0 1000.00 (एक हजार रूपये) मात्र तक अर्थ दण्ड किया जा सकेगा। यदि समयान्तर्गत लाईसैन्स धारक ने लाईसैन्स प्राप्त नहीं किया और उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्व होने की तिथि से प्रति दिन 25.00 रू0 की दर से अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा अर्थ दण्ड वसूलने के विरोध में लाईसैन्स प्राप्त कर्ता को अपनी व्यक्तिगत परेशानी/विपदा व दुकान कालिक समय तक के लिये दुखः सुख की व्यवस्था में बन्द पडी रहने की दशा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में वह अपने विवेक से ऐसे लाईसैन्स धारकों से ऐसी परिस्थिति में दण्ड वसूलें या न वसूलें।

लाईसैंसिंग हेतु प्रस्तावित लाईसैंस शुल्कों की दरों की तालिका एंव लाईसेंस मदों का विवरण एवं दरें निम्न प्रकार प्रस्तावित है।

क्र.सं.	मद का विवरण	निर्धारित दर(वार्षिक)
1	होटल लाजिंग तथा गैस्ट हाउस 10 शैया तक।	1000/–
2	होटल लाजिंग तथा गैस्ट हाउस 11 शैया से 20 शैया तक।	2000/–
3	एक सितारा अथवा बिना स्टार 20 शैया से उपर।	6000/–
4	———,,——— 31 से 40 शैया तक।	7000/–
5	———,,——— 41 से 50 शैया तक।	8000/–
6	———,,——— 50 शैया से उपर।	9000/–
7	तीन सितारा होटल।	9000/–
8	पॉच सितारा होटल।	12000/–
9	रेस्टोरेन्ट ।	1000/–

नर्सिंग होम

क.सं.	मद का विवरण	निर्धारित दर(वार्षिक)
1	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	2000/–
2	नर्सिंग होम (20 बैड से उपर)	50.00रू0 प्रति बैड
3	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	4000/–
4	प्रसूति गृह (20 बैड से उपर)	5000/–
5	प्राईवेट अस्पताल	5000/–
6	पैथोलाजि सैन्टर।	1000/–
7	एक्स–रे क्लीनिक(अल्ट्रासाउण्ड)	2000/–

8	डेन्टल क्लीनिक ।	2000/–
9	प्राईवेट क्लीनिक।	1000/–

परिवहन

क्र.सं.	मद का विवरण	निर्धारित दर(वार्षिक)
1	ट्रॉसपोर्ट (बिना वाहन के ऐजेन्सी)	36000/–
2	ट्रॉस्पोर्ट ऐजेन्सी (वाहन सहित)	72000/–
3	आटो रिक्शा 2 सीटर	360/–
4	आटो रिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	720/–
5	आटो रिक्शा 4 सीटर	500/–
6	मिनी बस	1000/–
7	बस	2500/–
8	ठेला /ठेली	100/–
9	ट्राली	150/–
10	अन्य चार पहिया वाहन (व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	1000/–
11	मौटर गैरिज ।	1200/–
12	स्कूटर/मोटर साईकिल गैरिज/रिपेयरिंग शॉप।	500/–
13	मौटर वाहन ऐजैन्सी,सेल्स/सर्विस।	5000/–
14	स्कूटर ऐजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	2500/–
15	साईकिल की दुकान सेल्स/सर्विस ।	500/–
16	जे0सी0बी0प्रति एक किराये पर चलाये जाने के उपयोग।	3000/–
17	वाहन धुलाई सर्विस सेन्टर	500/–

पैट्रोलियम

क्र.सं.	मद का विवरण	निर्धारित दर(वार्षिक)
1	पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक (आयल कम्पनी)	5000/–
2	पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प पेटी फुटकर।	3000/–
3	जनरेटर डीजल व्यवसायिक ।	1200/–
4	दुकान अन्य पैट्रौलियम पदार्थ मोबिल आयल आदि।	1200/–

अन्य व्यवसाय

क्र.सं.	मद का विवरण	निर्धारित दर(वार्षिक)
1	आटा चक्की	500/–
2	धुलाई गृह (लॉडरी)	350/–
3	ड्राईक्लीनर।	700/–
4	साबुन फैक्ट्री	1500/–
5	आईस क्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रींक सोडा ऐस्ट्रेड वाटर फैक्ट्री ।	1500/–
6	गूदड गोदाम/कबाडी ।	1200/–
7	कंकड तथा सुर्खी भट्टा ।	5000/–
8	चूना ।	500/–
9	ईट भट्टा ।	7500/–
10	जूता बनाने का कारखाना ।	2500/–
11	लेहा व्यापारी टिम्बर,सीमेन्ट,ईंटा,बालू,मोरंग,मारबल,टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर फुटकर विक्रेता।	2500/–
12	बिजली सामान विक्रेता।	1000/–
13	कपडा थोक विक्रेता ।	2500/–
14	चाय थोक विक्रेता।	1200/–
15	कैटरिंग।	1000/–
16	बेकरी उद्योग व्यवसाय।	2400/–
17	हेयर कटिंग सैलून ।	500/–
18	ब्यूटि पार्लर।	1000/–
19	कुकिंग गैस ऐजैन्सी	1500/–
20	जनरल स्टोर थोक।	2000/–
21	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	3600/–
22	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	700/–
23	कोयला थोक विक्रेता।	5000/–
24	कोयला (फुटकर विक्रेता)	500/–
25	मसाला/पान मसाला कारखाना (फैक्ट्री)	5000/–
26	पेन्ट की दुकान।	1000/–
27	ज्वैलर्स बडे 5 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर।	6000/–
28	ज्वैलर्स छोटे 5 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर।	2000/–
29	विज्ञापन ऐजेन्सी ।	3000/–
30	डेरी फार्म ।	1000/–
31	भूसा थोक	1000/–
32	भूसा फुटकर ।	500/–

33	आडियो/विडियो लायब्रेरी ।	500/–
34	केबिल टी0वी0 1 से 100 कनैक्शन– केबिल कैन्क्शन टी0वी0 100से 200 तक– केबिल कैन्क्शन टी0वी 200 से अधिक–	1–2000.रू0 2–3000 रु0 3–5000 रु0
35	आर्किटैक्ट कन्सलटैन्ट विधि चार्टेड एकाउण्टेन्ड कॉस्ट एकाउण्टेन्ड ।	6000/–
36	फाईनेन्स कम्पनी चिट फण्ड ।	6000/–
37	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा ।	12000/–
38	फाउण्डिगं इंजीनियरिंग इण्ड0	1200/–
39	पशु वध कर प्रति पशु ।	50/–
40	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड,खॉडसारी (फुटकर विक्रेता)	2000/–
41	बार बियर ।	6000/–
42	आईस फैक्ट्री ।	1000/–
43	टैन्ट हाउस ।	1200/–
44	पान की दुकान ।	300/–
45	चाय की दुकान ।	300/–
46	जनरल मर्चेन्ट की दुकान फुटकर ।	1000/–
47	किताबों की दुकान ।	800/–
48	न्यूज पेपर विक्रेता।	500/–
49	लकडी की टाल की दुकान ।	500/–
50	टिम्बर मर्चेन्ट ।	5000/–
51	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत।	1000/–
52	टी0वी0 शॉप/इलैक्ट्रोनिक वस्तुयें।	2000/–
53	फट्रीलाईजर शॉप ।	800/–
54	प्लास्टिक फैक्ट्री ।	6000/–
55	प्लास्टिक ट्रेडर्स ।	1000/–
56	मिठाई की दुकान ।	1000/–
57	चाट बतासा की दुकान ।	300/–
58	सब्जी/फल आडत ।	1000/–
60	सब्जी/फल की दुकान ।	500/–
61	बिल्डर्स रजिस्टर्ड ।	5000/–
62	मसाले थोक विक्रेता ।	5000/–
63	मसाले फुटकर विक्रेता ।	1000/–
64	देसी शराब प्रति दुकान ।	20000/–
65	विदेसी शराब प्रति दुकान ।	30000/–

66.	भैंसा मांस की दुकान।	500/–
67.	बकरा मांस की दुकान।	600/–
68.	मुर्गा माँस एवं अण्डा विक्रेता।	600/–
69.	मछली विक्रेता।	600/–
70.	फर्नीचर की दुकान शोरूम।	2500/–
71.	फर्नीचर विक्रेता।	1500/–
72.	क्राकरी विक्रेता।	500/–
73.	चूड़ी विक्रेता।	300/–
74.	बोझा ढोने वाले प्रति मजदूर	200/–
75.	बोझा ढोने वाले (पशु प्रति पशु)	500/–
76.	फर्नीचर मरम्मतकर्ता, कॉरपेन्टर, मिस्त्री	1000/–
77.	स्टोन क्रेशर मशीन	15000/–
78.	साउण्ड/डीजे की दुकान	800/–
79.	बैण्ड मास्टर दुकान	1000/–
80.	फोटो स्टुडियों/वीडियो फिल्म मेकर	1000/–
81.	प्रिन्टिंग प्रेस	1000/–
82.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1000/–
83.	कम्प्यूटर टाईप फोटो स्टेट फैक्स मशीन	300/–
84.	ग्रिल उद्योग इलेक्ट्रॉनिक वैल्डिंग मशीन	1000/–
85.	रूई धुनाई मशीन	500/–
86.	हाईड्रोडाम पॉवर 50 कि0वा0 तक।	25000/–
87.	हाईड्रोडाम पॉवर 50 कि0वा0 से अधिक तक।	50000/–
88.	लोहार	100/–
89.	पोल्ट्री फार्म/गोदाम।	1000/–
90.	शटरिंग सामग्री हाउस	1500/–
91.	खनन ईंट रेता बजरी व्यवसाय	2000/–
92.	मोबाईल टॉवर प्रति टॉवर	3000/–
93.	धर्म कांटा	2000/–
94.	गिफ्ट सेन्टर	500/–
95.	मैरिज हॉल	5000/–
96.	सरिया, सीमेन्ट विक्रेता	500/–
97.	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	500/–

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत कपकोट जनपद बागेश्वर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002(संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 298 सूची (1) "ख" (क) के अन्तर्गत अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अन्तर्गत बोर्ड बैठक दिनांक 23.12.2014 के प्रस्तावानुसार निर्माण कार्यो को कराये जाने के विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिए उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300 (1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पडने की संभावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने के उददेश्य से प्रकाशित किये जा रहे हैं। विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष नगर पंचायत कपकोट जनपद बागेश्वर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नही किया जोयगा।

नियमावली / उपनियम

परिभाषा:–

1– यह उपनियम नगर पंचायत कपकोट जिला बागेश्वर की सीमान्तर्गत एवं समस्त जिले के सीमान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों की नियमावली कहलायेगी।

2– नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट है।

3– इस उपनियम के अर्न्तगत ठेकेदार शब्द से तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट में भवन/सड़क आदि निर्माण कार्यो एंव अन्य विकास निर्माण कार्यो के ठेके लेने हेतु अधिकृत पंजीकृत ठेकेदार से है।

4– पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।

5– शासकीय इन्जीनियरिंग विभागों से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जलनिगम आदि अन्य समस्त शासकीय तकनीकी विभाग से है ।

6– राज्य से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य शासन से है।

7– यह कि नगर पंचायत कपकोट सीमा अर्न्तगत नगर पंचायत द्वारा सार्वजनिक भवन /सड़क/नाली/नाले/पुलियां अथवा अन्य किसी प्रकार के विकास हेतु निर्माण कार्य की निविदायें नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया/प्रतिबन्ध इस नियमावली के शासकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त पंजीकरण हेतु तत्काल से प्रभावी होगें ।

8– यह कि बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार नगर पंचायत में किसी प्रकार की निविदा न तो क्रय कर सकेगा, और न ही निविदा डाल सकेगा और ना ही निर्माण कार्य सम्पादित कर सकेगा ।

9– यह कि नगर पंचायत में ठेकेदारों का पंजीकरण 3 श्रेणियों में होगा जैसा कि इस नियमावली के अनुलग्नक "क" में निम्न प्रकार निर्दिष्ट है ।

अनुलग्नक–क

पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन, हैसियत, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत का विवरण जो निविदायें क्रय हेतु अधिकृत होंगे।

क्र. सं.	ठेकेदारों का वर्गीकरण	कार्य का मूल्य जिसकी निविदा ठेकेदार दे सकते हैं	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	स्थाई जमानत शुल्क राष्ट्रिय बचत पत्र के रूप में पालिका पक्ष में बन्धक होगी
1	2	3	4	5	6	7

1–	"ए" श्रेणी	समस्त निर्माण कार्य	6 लाख	2000/–	500/–	15000/–
2–	"बी" श्रेणी	5 लाख रू0 तक के निमार्ण कार्य	3 लाख	1000/–	300/–	10000/–
3–	"सी" श्रेणी	2 लाख तक के समस्त निर्माण कार्य	1 लाख	500/–	200/–	5000/–

10– यह कि प्रत्येक नवीन पंजीकरण हेतु ठेकेदार फर्म को श्रेणी ए में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर आवेदक को प्रथम श्रेणी ए के पंजीकरण हेतु रू0 2000/– बिना वापसी शुल्क पालिका निधि में पंजीकरण अधिकारी के आदेश उपरान्त जमा कराना होगा। तथा श्रेणी बी के नवीन पंजीकरण हेतु 1000/–रू0 तथा सी श्रेणी के नवीन पंजीकरण हेतु क्रमशः 500/– रू0 प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगे नवीन पंजीकरण हेतु केवल जिला बागेश्वर के अनर्तगत निवास करने वाले व्यकित/फर्म/संस्था ही आवेदन कर सकती है।

(1) स्थाई निवास प्रमाण–पत्र सम्बन्धित उपजिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो प्रस्तुत करना होगा ।

(2) ठेकेदार को कम से कम 5 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र किसी भी शासकीय/अर्द्वशासकीय विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

(3) ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण–पत्र वर्तमान पते के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जो जिला अधिकारी बागेश्वर द्धारा प्रदत्त किया गया हो तथा जिसे प्राप्त किये हुऐ 6 माह से अधिक समय न हुआ हो ।

(4) ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त किया गया हो।

(5) ठेकेदार को बिक्रीकर/आयकर कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) यह कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रेणी 'ए' के पंजीकृत ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नगर पंचायत निधि में पंजीकरण अधिकारी के नवीनीकरण के किये जानें के आदेश उपरान्त रूपया 500/–(पॉच सौ रूपये) नवीनीकरण शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी तथा श्रेणी 'बी' के पंजीकृत ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नवीनीकरण के आदेश उपरान्त रूपया 300/–(तीन सौ रूपये) नवीनीकरण शुल्क तथा श्रेणी 'सी' के पंजीकृत ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु रूपये 200/–(दो सो रूपये) प्रति नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। उक्त समय अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(7) स्थाई जमानत शुल्क कालम 7 को 5 वर्ष बाद बदल कर पुनः देय होगा।

11– ठेकेदारी पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र 1 अप्रैल से 31 मई तक दिया जायेगा। इस तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

12– किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने, पंजीकृत ठेकेदार को सन्तोषजनक कार्य न करने पर ब्लेक लिस्ट करने का अधिकार पी0डब्लू0सी0 की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत में निहित होगा।

13– नवीन पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पंचायत द्वारा ठेकेदार को अनुलग्नक 'ख' के प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

अनुलग्नक ख

कार्यालय नगर पंचायत कपकोट बागेश्वर।

ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मैं .....पुत्र श्री.....निवासी.....का इस नगर पंचायत में श्रेणी .....के ठेकेदारी कार्य हेतु पंजीकरण किया गया, यह पंजीकरण 1 अप्रैल .....से 31 मार्च .....तक के लिये वैध होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कपकोट

14. पंजीकृत किये गये किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, समिति आदि को निम्न लिखित किसी भी कारण से ठेकेदारों की सूची से प्रथक कर दिया जायेगा। ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।

(1) कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में।
(2) टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त कार्य समय से आरम्भ न करने की दशा में।
(3) पर्याप्त मूलधन, तकनीकी कर्मचारी व आवश्यक उपकरणों के अभाव की स्थिति में।
(4) किसी अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा दडिण्त किये जाने की स्थिति में।
(5) किसी भी प्रकार की मानसिक असक्षमता, (पागलपन) की स्थति में।

15– कार्य निर्धारित मानकों के अनर्तगत एवं निर्धारित अवधि अथवा बढाई गयी समय अवधियों के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने की दशा में ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी पंजीयन जमानत भुगतान किये गये बिल से काटी गयी जमानत की एवं धरोहर धनराशि को भी जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

16– एसे निर्माण कार्य के ठेकेदार जो निर्माण कार्यो को ठेका अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पाये जायेगें, उनका पंजीकरण निरस्त करने तथा उनका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम रूप से स्वीकार होगा।

17– कार्य हेतु निर्धारित अवधि को विशेष परिस्थितियों में दो बार अधिकतम बढाया जा सकेगा। प्रथम बार स्वविवेक से समया अवधि अधिकतम दो माह तक बढा सकते हें। इसके उपरान्त समयावधि बढाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम होगें, परन्तु बढाई जाने वाली अवधि किसी भी दशा में तीन माह से अधिक न होगी। यह कार्य की प्रकृति एंव परिस्थितियों पर आधारित होगा। जिसको करवाने वाले अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में अंकित किया जावेगा। कार्य समय से पूर्ण न होने पर एक प्रतिशत की दर से शेष बचे कार्य के अनुसार अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रति दिन की दर के अनुसार अर्थ दण्ड लगाया जायेगा। जो कि भुगतान के साथ तब काटा जायेगा जब ठेकेदार नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा नही करता है।

18– ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित मानकों एंव प्रतिमानों के अर्न्तगत इस पंचायत में भी कार्य करना होगा।

19– इस उपनियम के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की सभी व्यवस्थायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

20– यह उपनियम उत्तराखण्ड गजट में अन्तिम रूप से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

21– नगर पंचायत कपकोट के कार्यालय में उक्त कार्य हेतु एक रजिस्टर होगा जिसमें समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रारूप पर अंकित होगा।

22– अगले वित्तीय वर्ष के लिये उन्ही ठेकदारों का नवीनीकरण किया जायेगा जिन्हें निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी होगा।

23– यदि कम संख्या 22 पर नोटिस जारी होता हे तो ठेकदार को एक माह में नोटिस का निस्तारण कराना होगा।

24– नोटिस का निस्तारण न कराने पर कम संख्या 15 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

रजिस्टर का प्रारूप

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम पंजीकरण हेतु स्वीकृति	पंजीकरण की श्रेणी	पंजीकरण की शुल्क धनराशि	एफ.डी.आर/ एन.एस.सी.		पंजीकरण तिथि	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण रसीद		रिमार्क का वर्ष
				नम्बर	दिनांक			नम्बर	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत कपकोट।

अध्यक्ष
नगर पंचायत कपकोट।

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत कपकोट जनपद बागेश्वर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 तथा नगर पालिका अधिनियम 128 में वर्णित उपधाराओं के अर्न्तगत अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगर सीमा अन्तर्गत अचल सम्पत्ति नामान्तरण/स्थानानान्तरण (नाम परिवर्तन) पर कर लगाने सम्बन्धी बोर्ड बैठक दिनांक 23.12.2014 पारित प्रस्तावानुसार एवं नगर पालिका अधिनियम 298 के अर्न्तगत उपविधि/उपनियम बनाये जाने के अधिकारों के प्रयोग करते हुये निर्णय लिया गया है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300(1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पडने की संभावना है से आपत्तियां एवं सुझाव आंमत्रित करने के उददेश्य से प्रकाशित किया जाता है, विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर जिलाधिकारी/प्रशासक/अध्यक्ष नगर पंचायत कपकोट जनपद बागेश्वर के नाम से नगर पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों व सुझावों पर कोई विचार नही किया जोयगा।

—:उपविधियॉ:—

1— **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ** —

(क) यह उपविधि नगर पंचायत कपकोट दाखिल खारिज (सम्पत्ती नाम परिर्वतन) उपविधि 2015 कहलायेगी।

(ख) उक्त नियमावली लागू होने पर गृहकर नियमावली के नियम 5 (3) निरसन/स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ग) यह नगर पंचायत कपकोट की सीमा में प्रवृत होगी।

~~(घ) यह नगर पंचायत कपकोट द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी।~~

2— **परिभाषायें**—

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में —

(क) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट से है।

(ख) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट की सीमा से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कपकोट से है।

~~(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट के निर्वाचित अध्यक्ष से है।~~

(ड़) प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट के प्रशासक से है।

(च) अधिनियम का तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 से है।

(छ) अभिलेखों का तात्पर्य नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों आदि तथा भविष्य में कमेटी द्वारा तैयार किये गये खसरे व नक्शे कर निर्धारण सूची एवं मांग वसूली व सम्पत्ति रजिस्टरों से हैं।

(ज) दाखिल खारिज (सम्पत्ति नाम परिर्वतन) का तात्पर्य नगर पंचायत कपकोट की सीमा के अन्दर स्थित किसी नागरिक के अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) के सम्बन्ध में नगर पंचायत अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रविष्टि के नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर निरस्त कराकर सही स्वामी का नाम अंकित कराने से है।

3— नगर पंचायत सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति (भूमि भवन आदि) के प्रत्येक उस अध्यासी का जो उत्तराधिकारी, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या किसी अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार पर अचल सम्पत्ति की जो उसके अध्यासन में है। स्वामी है या अपने आप को स्वामी समझता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर उसका कर्तव्य होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल खारिज की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4— उपरोक्त नियम तीन के अर्न्तगत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को नगर पंचायत कपकोट के समस्त बकायेदारो एवं अन्य बकायों को यदि कोई हो, के सम्पूर्ण अदायेगी का प्रमाण—पत्र एवं दाखिल खारिज हेतु निर्धारित शुल्क जिसका विवरण नियम 18 के अर्न्तगत अनुसूची में किया गया है, के अनुसार अदा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5— दाखिल खारिज हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क नगर पंचायत कपकोट के कर लिपिक द्वारा प्राप्त किया जायेगा एंव दाखिल खारिज शुल्क प्रत्येक प्रार्थना पत्र के लिये प्रथक प्रथक भुगतान करना होगा, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नही किया जायेगा और ना ही इस का समायोजन किया जायेगा।

6— दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से देने होंगे —

(क) अचल समपित्त (भूमि या भवन आदि) की संख्या एंव क्षेत्रफल —

(ख) चौहद्दी–

(ग) नगर पंचायत अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रवृष्टि का विवरण –

(घ) मार्ग एंव मौहल्ले का नाम जिसमें अचल सम्पत्ति स्थित हो –

(ङ) उत्तराधिकार, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार व दस्तावेज (जो कि किसी स्तर पर नियमानुसार पंजीकृत अवश्य हो)

(च) उन व्यक्तियों के नाम जिनको प्रार्थी अपने पक्ष में गवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है–

(छ) अचल सम्पत्ती (भूमि एवं भवन आदि) की माप –

7– प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर मौके की जॉच हेतु किसी भी नगर पंचायत कर्मचारी को आदेश किया जायेगा जो अपनी जॉच रिपोर्ट एक सप्ताह में देगा।

8– जॉच रिपोर्ट आने पर नगर पंचायत कपकोट के अधिशासी अधिकारी द्वारा इन अचल सम्पत्तियों के दाखिल खारिज की सूचना पत्र या एक इश्तिहार के रूप में जारी किया जायेगा। इश्तिहार का व्यय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देना होगा।

9– इश्तिहार जारी होने के बाद इस अचल सम्पत्ति के लिये दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तिहार जारी होने के 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा।

10– आवेदक को इश्तिहार पर होने वाले ब्यय भार को स्वंय उठाना होगा जिसमें निकाय की कोई जिम्मेदारी अथवा उत्तदायित्व नही होगा।

11– नामान्तरण प्रकिया में किसी आपत्ति कर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो पृथक–पृथक रुप से आपत्ति कर्ताओं को आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ नगत रुप में 500 रु0 जमा करने होगें। जो कि किसी भी दशा में वापस नही किया जा सकेगा।

12– आपत्ति कर्ता को आपत्ति के साथ नगर पंचायत कपकोट के समस्त बकाये करो की अदायेगी का प्रमाण पत्र पेश करना होगा, इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता के साथ आपत्ति रसीद संलग्न करेगा तभी उसकी आपत्ति स्वीकार की जायेगी अन्यथा निरस्त की जायेगी।

13– यदि आपत्ति कर्ता की स्वीकार की गई आपत्ति निरस्त कर दी जाती है तो आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति के साथ जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा।

14– दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान समस्त साक्ष्य लिखित एवं गवाहों के रूप में अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करने होगें।

15– समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर दाखिल खारिज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कर दिया जायेगा। उसकी सूचना/आदेश का संक्षिप्त सार पूंजी रजिस्टर व कर निर्धारण सूची तथा मांग वसूली रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

16– दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान कोई विवाद स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य बिन्दु पर उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष नगर पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

17– दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्ष कार्यवाही के विरूद्व न्यायालय में निषेधाज्ञा प्रस्तुत करता है, तो दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक रोक दी जायेगी।

18– दाखिल खारिज की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि किसी पक्ष के दीवानी न्यायालय में निर्णय के अनुसार उसके प्रार्थना पत्र पर तदनुसार अभिलेख में संशोधन कर दिया जायेगा।

19– दाखिल खारिज की कार्यावही प्रत्येक दशा में 35 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी ।

20– दाखिल खारिज करने के लिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ निम्न लिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। किसी भी भवन का नामान्तरण दूसरें पक्ष के नाम इन्द्राज कराने पर प्रति भवन/भूमि कर नामान्तरण पर रुपये –2000/शुल्क देय होगा। तथा वित्तीय वर्ष में लगें भवन कर धनराशि ढेड गुना हो जायेगा।

मुक्ति

1– नगर पंचायत कर्मचारी अपने हक में जो नामांकन का प्रार्थना पत्र देंगे शुल्क से मुक्त होगें।
2– राजकीय अचल सम्पत्ति शुल्क से मुक्त होगी।
3– धार्मिक स्थल, सम्पत्ति शुल्क से मुक्त धार्मिक स्थल से तात्पर्य किसी तरह के व्यवसायिक उपयोग हेतु किराये बेचना दुकाने आदि सम्पत्ति में देना होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 299 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत कपकोट एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किन्ही भी उपबन्धों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा, जो रूपये 1000/– तक हो सकता है। किसी भी ब्यक्ति द्वारा भवन कर नामान्तरण प्रकिया में प्रस्तुत अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य अथवा गुमराह किये जाने की स्थिति में दोषी ब्यक्ति के विरुद्व सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

हरिचरन सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कपकोट।

श्रीमती चम्पा देवी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कपकोट।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मसूरी

विज्ञप्ति

दिनाँक 25 मार्च, 2015 ई0

पत्रांक 9848/अ0अ0/2014–15–यू0 पी0 म्युनिस्पैलिटी एक्ट 1916 की धारा 298 उपखण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद, मसूरी, अपनी सीमा के अन्दर प्रवेश करने वाले वाहनों पर लागू ईको पर्यटक शुल्क, उपविधि संख्या–1278/21–282 (2008–09) दिनाँक 04 जून, 2009, गजट प्रकाशन दिनाँक 27 जून, 2009 मे नियमानुसार निम्न संशोधन लागू करने हेतु पारित प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव–351, दिनाँक 03–12–2014 एवं प्रस्ताव संख्या–यू0 आर0–15/430 दिनाँक 28–02–2015 के माध्यम से पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुये निम्न संशोधन किये गये है :–

पालिका द्वारा वर्तमान लागू उपविधि में निम्न होने वाले संशोधनों को दिनाँक 01–04–2015 से लागू किया जाना है :–

पूर्व उपविधि में मुद्रित स्थान	पूर्व उपविधि अनुसार लागू (मुद्रित) अभियुक्ति/उपनियम	संशोधन पश्चात लागू / उपविधि में मुद्रित किये जाने वाला उपनियम/अभियुक्ति
1	2	3	4
1.	उपविधि के प्रथम पृष्ठ का प्रथम पैरा की पंक्ति–2 (त्रुटिवश मुद्रित अधिनियम की धारा)	298 (1)(A)(I)	298 (1)(J)(a)
2.	उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु–अ–परिभाषा 5	5. ईको पर्यटक शुल्क का तात्पर्य देहरादून कोल्हुखेत में पालिका द्वारा निर्धारित नाके से मसूरी नगर के लिये आने वाले उन सभी वाहनों जो पर्यटकों को लेकर मसूरी में आ रहे हों, से प्रतिवाहन लिये जाने वाले शुल्क से होगा।	5. ईको पर्यटक शुल्क का तात्पर्य उस शुल्क से है जो कि पालिका द्वारा मसूरी में प्रवेश करने वाली सड़क/सड़कों पर पालिका द्वारा निर्धारित नाका/नाकों पर ऐसे पर्यटक वाहनों से लिया जाता हो जो कि मसूरी नगर में भ्रमण हेतु प्रवेश करते हों।
3.	उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु–अ–परिभाषा 6	पर्यटक से तात्पर्य देहरादून मसूरी मार्ग से मसूरी आने वाले पर्यटकों से होगा।	पर्यटक का तात्पर्य मसूरी प्रवेश वाले मार्ग/मार्गों से मसूरी आने वाले पर्यटकों से होगा।
3.	उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु–अ–परिभाषा 7	7. नाके से तात्पर्य देहरादून मसूरी मार्ग मे कोल्हुखेत में पालिका द्वारा स्थापित बैरियर /नाके बूथ से होगा।	7. नाके से तात्पर्य मसूरी में प्रवेश करने वाले मार्गों पर स्थापित नाके/बूथ से होगा।
4.	उपविधि के प्रथम पृष्ठ बिन्दु–ब शुल्क विवरण अधिरोपण एवं संग्रह	ईको पर्यटक शुल्क ऐसे सभी वाहनों जिनसे पर्यटक देहरादून मसूरी मार्ग के कोल्हुखेत स्थित नाका/बैरियर से पर्यटकों लेकर मसूरी आ रहे वाहन के परिचालक/कण्डक्टर द्वारा पालिका के पर्यटक शुल्क वसूली हेतु नियुक्त/अधिकृत को निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा । जिसके लिये नाके/बैरियर/वसूली बूथ पर तैनात पालिका कर्मी द्वारा पालिका द्वारा निर्धारित एवं पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणित रसीद बुक से दो प्रतियों में रसीद दी जायेगी जिसमें से परिचालक द्वारा एक रसीद पालिका द्वारा निर्धारित भट्टा जाँच चौकी/नाके	ईको पर्यटक शुल्क ऐसे सभी वाहनों जिन से पर्यटक मसूरी मार्ग/मार्गो पर स्थित नाका/बैरियर से प्रवेश कर पर्यटकों को मसूरी आ रहे हो को देय होगा। जिस हेतु प्रत्येक वाहन (स्वामी/चालक) द्वारा निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा। जिसकी जाँच निर्धारित चैक पोस्ट पर की जायेगी इसके अतिरिक्त आकस्मिक जाँच पालिका के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पालिका सीमान्तर्गत कहीं भी की जा सकेगी। ऐसे वाहन जो निर्धारित नाके पर देय धनराशि के बाद प्राप्त रसीद, की प्राप्ति के 2 घण्टे के भीतर ही मसूरी सीमा से बाहर जाते हैं उन्हें उपरोक्त लिये गये शुल्क का

1	2	3	4
		पर पालिका के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को माँगने पर उपलब्ध करवानी अनिवार्य होगी। नगर पालिका परिषद, मसूरी सीमान्तर्गत प्रवेश करने पर निम्नानुसार देय होगा :–	रिफन्ड व्यवस्था या पालिका से निर्गत होने वाले वार्षिक पास (अनुज्ञा) व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जा सकेगा। नगर पालिका परिषद्, मसूरी सीमान्तर्गत प्रवेश करने पर वाहनों को निम्नानुसार देय होगा :–
		1. बस ₹ 100/– प्रति वाहन 2. मैटाडोर/मिनी बस ₹ 50/– प्रति वाहन 3. कार/जीप/वैन ₹ 30/– प्रति वाहन 4. दो पहिया वाहन (स्कूटर/मोटर साईकिल) ₹ 05/– प्रति वाहन	1. बस ₹ 150/– प्रति वाहन 2. मैटाडोर/मिनी बस ₹ 100/– प्रति वाहन 3. कार/जीप/वैन ₹ 50/– प्रति वाहन 4. दो पहिया वाहन ₹ 10/– प्रति वाहन
5. पूर्व से मुद्रित नहीं शास्ति से पूर्व नवीन पैरा/बिन्दु स पर मुद्रित किया जाना है।	——		स–ईको पर्यटक शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का व्यय पालिका द्वारा अपने स्तर से पर्यावरण एवं पर्यटन विकास पर निम्न अनुसार किया जायेगा :– 1. पालिका द्वारा पर्यटन को बढावा देने एवं पर्यावरण जागरूकता में सुधार हेतु आयोजित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम/महोत्सव (ऑटम फेस्टिवल/विन्टर कार्निवल/उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस/ग्रीष्मोत्सव आदि) पर वार्षिक आय का कुल 25% (पच्चीस प्रतिशत) भाग । 2. पालिका द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण व पर्यटन विकास से सम्बन्धित कार्यों में (जिसमें सम्बन्धित कार्य जैसे जागरूकता अभियान/निर्माण/ईको पर्यटक शुल्क संचालन आदि आने वाला व्यय भी सम्मिलित है) पर आने वाले व्यय पर वार्षिक आय का कुल 75% (पिच्चहतर प्रतिशत) भाग ।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
मसूरी।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
मसूरी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/142–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।